vYidkyhu fufonk lpuk

¼lMd ekxl l lkexh if"kr dju gr ifjogu ,tlh dk lphc) dju gr½

पी.आर. संख्या 3566 (नि.नि.) 13–14 दिनांक 03.07.2013 द्वारा आमंत्रित 'परिवहन एजेंसी को सूचीबद्ध करने हेतु निविदा 2013' को अपरिहार्य कारणवश रद्द करते हुए परिवहन एजेंसी को सूचीबद्ध करने हेतु अल्पकालीन निविदा 2014' आमंत्रित की जाती है।

'स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार/राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित पुस्तकें, उपकरण, दवा एवं अन्य सामग्री इत्यादि का समय–समय पर आवश्यकतानुसार सभी जिला स्वास्थ्य समिति/जिला मुख्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों में सड़क मार्ग से परिवहन किया जाना है। उपरोक्त वर्णित विभिन्न प्रकार की सामग्री को निर्गत कार्यादेश में वर्णित स्थल से प्राप्त कर इस निविदा में अन्यत्र वर्णित जिला स्वास्थ्य समिति/जिला मुख्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालायों (जो कि कार्यादेश में वर्णित होगा) के गोदाम तक सड़क मार्ग से परिवहन हेतु ट्रांसपोर्ट (परिवहन) एजेन्सी/एजेन्सियों को सूचीबद्ध करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक ट्रांसपोर्ट (परिवहन) फर्म/एजेंसी द्वारा मुहरबंद लिफाफे में सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निविदा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, के कार्यालय में वर्णित वांछित दस्तावेज़ों/कागजात इत्यादि सहित दिनांक 13 मार्च, 2014 को अपराह्न 3 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

इस लिफाफे के ऊपर ßifjogu ,tlh dk lphc) dju gr fufonk 2014Þ अवश्य अंकित होनी चाहिए। इस बड़े मुहरबन्द लिफाफा में निम्नांकित दस्तावेज़ दो अलग–अलग लिफाफों में होनी चाहिए:

1. एक लिफाफे के ऊपर Þdoj ^A^ ifjogu ,tlh dk lphc) dju gr rduhfd fufonk 2014Þ अंकित कर उसमें तकनीकि निविदा समर्पित की जानी है।
2. दूसरे लिफाफे के ऊपर Þdoj ^B^ ifjogu ,tlh dk lphc) dju gr foÿkh; fufonk 2014 अंकित कर उसमें अलग से वित्तीय निविदा समर्पित की जानी है।

vfuok;l vkgÿkk% तकनीकि निविदा के साथ निम्नांकित कागज़ात/दस्तावेज़ समर्पित किए जाने हैं। सभी जमा किए जा रहे दस्तावेजों को एजेन्सी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभिप्रमाणित (एजेन्सी की मुहर के साथ) होना चाहिए तथा निविदा के आलोक में दिये जाने वाले शपथ पत्र भी उसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया हो।

rduhfd fufonk d lkFk lyXu fd; tku okys nLrkoTk ¼lHkh nLrkot vfHkiekf.kr ,o ekgjkfdr gku pkfg,½%

1. उक्त वर्णित प्राधिकार पत्र (Authority letter) की मूल प्रति तकनीकि निविदा के साथ समर्पित की जानी है।

2. वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में एजेंसी के नाम से दायर आयकर रिटर्न की मुहर सहित स्वअभिप्रमाणित प्रति के साथ इन वित्तीय वर्षों की Audited Balance Sheet की स्वअभिप्रमाणित छाया–प्रतियाँ भी समर्पित की जानी हैं। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।
3. निविदादाताओं/एजेन्सियों के स्वयं का वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 में प्रतिवर्ष वार्षिक टर्नओवर कम–से–कम 10 लाख का होना चाहिये।
4. निविदा के साथ अग्रधन राशि के रूप में ₹ 20,000/– (बीस हज़ार रुपये) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के नाम से देय एवं पटना में भुगतेय हो (State Health Society, Bihar and payable at Patna), तकनीकी बिड के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न होना चाहिए। जिस निविदा के साथ अग्रधन राशि संलग्न नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी अथवा प्रोपराईटर के नाम से निर्गत पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी है।
6. एजेन्सी को किसी सरकारी/अर्द्ध–सरकारी विभाग अथवा लोक उपकम के साथ इस प्रकार का कम से कम तीन वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिए। इससे संबंधित वर्षवार दस्तावेज़ यथा कार्यादेश/हस्ताक्षरित अनुबंध/संबंधित

कार्यालय द्वारा विधिवत् निर्गत प्रमाण–पत्र इत्यादि की अभिप्रमाणित एवं मोहरांकित छायाप्रति भी निविदा के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

7. निविदा डालने वाली एजेन्सी को सर्विस टैक्स से निबंधित होना चाहिए। निबंधन प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया–प्रति संलग्न किया जाना है।
8. निविदा डालने वाली एजेन्सी को किसी भी सरकारी, अर्द्ध–सरकारी विभाग अथवा लोक उपक्रम द्वारा काली सूची बद्ध नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में निविदा प्रकाशन के उपरान्त निर्गत शपथ पत्र की मूल प्रति भी इस निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य है।
9. निविदा डालने वाली एजेन्सी अपने पास उपलब्ध कुल वाहनों की संख्या (जो कि परिवहन विभाग द्वारा परिवहन के योग्य हों एवं जिनके माध्यम से एजेन्सी सामग्री का परिवहन करेगी), सभी का पंजीकरण संख्या एवं प्रकार की सूची भी शपथ पत्र (मूल प्रति) के माध्यम से जमा करना अनिवार्य है।
10. यदि एजेन्सी के पास अपने स्वामित्व के अलावा अन्य वाहन प्रयोग किए जाने हैं, तब ऐसी परिस्थिति में अन्य वाहन मालिक के साथ हुए एकरारनामा (जिसमें वाहन की संख्या, पंजीकरण संख्या एवं प्रकार वर्णित हो) की अभिप्रमाणित एवं मोहरांकित छाया प्रति भी संलग्न करेंगे।
11. इच्छुक एजेन्सी के पास राज्य मुख्यालय में अपना गोदाम होना चाहिए। निविदा के साथ गोदाम की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक है।

<u>fu;e ,o 'kÙkZ %&</u>

1. इस निविदा में परिवहन एजेन्सी अथवा ट्रक (गाड़ी) मालिक निविदा में भाग ले सकते हैं।
2. Joint Venture में डाली गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. यह निविदा एक वर्ष तक के लिए वैद्य होगी। एजेन्सी का कार्य संतोषजनक होने पर निविदा एवं अनुबंध की अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तारित करने पर विचार किया जा सकता है।
4. जो निविदादाता तकनीकि निविदा में सफल पाए जाऐंगे, सिर्फ उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।
5. निविदा के साथ समर्पित सभी छायाप्रति दस्तावेज़ों को अभिप्रमाणित एवं मोहरांकित किया जाना है अथवा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. परेषण सामग्री (consignement) को गन्तव्य स्थल तक परिवहन हेतु किसी भी प्रकार का अन्य कोई भी शुल्क (जैसे चुंगी इत्यादि) परिवहन एजेन्सी को उद्धृत दर के अतिरिक्त देय नहीं होगा।
7. सामग्री को प्राप्ति स्थल से विधिवत् प्राप्त कर वाहन पर लादने (लोडिंग) एवं गन्तव्य स्थल पर सामग्री को उतार (अनलोडिंग) कर परेशिति (consignee) के गोदाम तक सुरक्षित पहुँचाने एवं स्टैकिंग का दायित्व भी परिवहन एजेन्सी का है तथा इसका दर भी परिवहन दर में ही शामिल रहेगा।
8. यदि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किसी अन्य एजेन्सी (जिससे रा०स्वा०स० ने सामग्री क्रय की हो) को निर्गत कार्यादेश (जिसकी प्रतिलिपि परिवहन एजेन्सी को भी रा०स्वा०स० द्वारा प्रेषित की गई हो) के आलोक में यदि संबंधित एजेन्सी परिवहन एजेन्सी के यहाँ (या उसके गोदाम) परेषण सामग्री (consignement) प्राप्त करवाती है तो प्राप्त की गई सामग्री की विधिवत प्राप्ति परिवहन एजेन्सी द्वारा संबंधित एजेन्सी को देनी होगी।
9. वित्तीय निविदा मात्र संलग्न निर्धारित प्रपत्र 'Annexure-1' में उल्लेखित नियमानुसार उद्धृत किया जाना है (दर को अंक एवं शब्द दोनों में) अन्य प्रपत्र में उद्धृत दर मान्य नहीं होगा। यदि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को प्रति जिला 1000 किलोग्राम से अधिक सामग्री के प्रेषण की आवश्यकता होगी तो वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र के स्तम्भ 'च' में अनुमोदित दरनुसार प्रति किलो दर आकलित कर 1000 किलोग्राम से अधिक सामग्री का चयनित एजेंसी के माध्यम से जिलावार प्रेषण किया जायेगा।
10. कार्यादेश में वर्णित स्थल से परेषण सामग्री (consignement) प्राप्त कर निर्धारित गन्तव्य स्थल पर ससमय परेषिति (consignee) के गोदाम तक जिलावार निर्धारित संख्या में सामग्री को सुरक्षित पहुँचाना परिवहन एजेन्सी का दायित्व होगा।
11. सम्पूर्ण परेषण सामग्री (consignement) के आपूर्ति में विलंब के फलस्वरूप प्रतिदिन कार्यादेश के कुल लागत का 0.5 प्रतिशत की दर से तथा एकरारित मूल्य का अधिकतम 20 प्रतिशत विलंब शुल्क की कटौती कुल भुगतेय राशि में से की जाएगी।

12. परेषण सामग्री (consignement) को गन्तव्य तक सुरक्षित, निर्धारित समय एवं संख्या में जिलों को पहुँचाने की पूर्ण जवाबदेही परिवहन एजेंसी/फर्म की होगी एवं सामग्री को नुकसान होने पर परिवहन एजेन्सी से उसका मुआवज़ा शुल्क वसूल किया जायेगा। यदि एजेन्सी के भूलवश स्वास्थ्य विभाग का कार्य सम्पादन बाधित हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में एजेन्सी को काली–सूची बद्ध करने पर विचार किया जायेगा तथा जमानत स्वरूप जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
13. सामग्री को जिलों में सुरक्षित पहुँचाने के पश्चात् जिलावार प्राप्ति रसीद को विपत्र एवं निर्गत कार्यादेश की छाया प्रति को भुगतान के समय संबंधित कार्यालय (जहाँ से कार्यादेश निर्गत हुआ हो) में समर्पित करना अनिवार्य होगा। प्राप्ति रसीद में यह वर्णित होना चाहिए कि सामग्री जिलों द्वारा सुरक्षित प्राप्त कर ली गई है। जिलों में सामग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति का स्पष्ट नाम, पदनाम, मोबाईल अथवा अन्य सम्पर्क नम्बर, कार्यालय मुहर इत्यादि स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिये। भुगतान राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के नियमों के अनुसार किया जाएगा तथा विपत्र एवं सभी चालान समर्पित करने के 30 दिनों में भुगतान करने का प्रयत्न संबंधित कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
14. निविदादाता के निविदा स्वीकृति/सूचीबद्ध करने हेतु चयनित करने के पश्चात् राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के साथ चयनित एजेन्सी को एकरारनामा हस्ताक्षरित करते समय ₹ 50,000/– (पचास हजार रुपए) जमानत राशि स्वरूप राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पक्ष में भुगतेय सिर्फ बैंक गांरटी के माध्यम से जमा करना होगा। यह बैंक गांरटी एजेन्सी के साथ अनुबन्ध समाप्त होने पर लौटा दिया जायेगा।
15. यदि परिवहन एजेन्सी द्वारा सामग्री परिवहन हेतु किसी प्रकार का बीमा करवाया जाएगा तो इसका खर्च अलग से देय नहीं होगा।
16. आवश्यकता पड़ने पर निर्धारित न्यूनतम दर पर किसी भी व्यक्ति/गाड़ी मालिक/परिवहन एजेन्सी को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पास सुरक्षित रहेगा।
17. Convassing in any form is strictly discouraged. यदि कोई एजेन्सी इस निविदा को प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की पैरोकारी करेगी तब ऐसी परिस्थिति में उस एजेन्सी की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
18. इस निविदा के संदर्भ में किसी भी एजेन्सी द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
19. कार्यपालक निदेशक द्वारा किसी भी समय उक्त निविदा को बिना कारण बताए स्थगित अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस संदर्भ में लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार नहीं किया जाएगा।
20. इस निविदा से संबंधित प्री–बिड बैठक दिनांक 03 मार्च, 2014 को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यालय में 11 बजे पूर्वाह्न को की जायेगी जिसमें इच्छुक निविदादाता भाग ले सकते हैं।
21. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में अपराह्न 3 बजे तक सिर्फ स्पीड पोस्ट अथवा निबंधित डाक द्वारा निविदा दिनांक 13 मार्च, 2014 को अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। किसी भी कारणवश विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
22. तकनीकी निविदा दिनांक 13 मार्च, 2014 को अपराह्न 4 बजे राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के सभागार कक्ष में गठित समिति के समक्ष खोली जाएगी। इच्छुक निविदादाता या उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिकतम एक व्यक्ति प्रति निविदादाता) तकनीकि निविदा खोलते वक्त उपस्थित रह सकते हैं।

सचिव, स्वास्थ्य
सह
कार्यपालक निदेशक

jkT; LokLF; lfefr] fcgkj

ifjokj dY;k.k Hkou] 'ks[kiqjk] iVuk&14

vYidkyhu fufonk lwpuk

¼lM+d ekxZ ls lkexzh ifjogu djus gsrq ifjogu ,tsUlh dk lwphc) djus gsrq½

प्रतिष्ठित/निबंधित परिवहन एजेंसियों से विभिन्न प्रकार की सामग्री को सभी जिला स्वास्थ्य समिति/जिला मुख्यालयों/चिकित्सा महाविद्यालयों में सड़क मार्ग से परिवहन हेतु मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। परिवहन एजेंसी को सूचीबद्ध करने संबंधित निविदा की विस्तृत जानकारी यथा पात्रता मानदण्ड, आपूर्ति की अवधि एवं शर्त्तें इत्यादि राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट www.statehealthsocietybihar.org पर उपलब्ध है।

एक बड़े लिफाफे के अंदर दो अलग–अलग लिफाफे डालकर बड़े लिफाफे के उपर ßifjogu ,tsUlh dk lwphc) djus gsrq vYidkyhu fufonk 2014Þ अवश्य अंकित होनी चाहिए।

1) तकनीकि निविदा हेतु & ^doj , & ifjogu ,tsUlh dk lwphc) djus gsrq rduhdh fcM 2014^ एवं

2) वित्तीय निविदा हेतु – ^doj ch & ifjogu ,tsUlh dk lwphc) djus gsrq foÙkh; fcM 2014* लिफाफे के उपर अवश्य अंकित होनी चाहिए।

अग्रधन राशि के रूप में ₹ 20,000/– (बीस हज़ार रुपए) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जो jkT; LokLF; lfefr] fcgkj] iVuk ds uke ls ns; ,oa iVuk esa Hkqxrs; हो (State Health Society, Bihar and payable at Patna), तकनीकी बिड के साथ अवश्य संलग्न होना चाहिए।

vfre frfFk % निविदा पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 13 मार्च, 2014 अपराह्न 3 बजे तक या इससे पूर्व राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना–14 को प्राप्त हो जानी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जमा किये गये निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

izh&fcM gsrq fu/kkZfjr frfFk % दिनांक 03 मार्च, 2014 (पूर्वाह्न 11 बजे), राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में।

rduhdh fcM [kksyus dh frfFk ,oa le; % दिनांक 13 मार्च, 2014 अपराह्न 4 बजे।

इस निविदा के संदर्भ में किसी भी एजेन्सी द्वारा किए गए पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही कार्यपालक निदेशक को किसी भी समय उक्त निविदा को बिना कारण बताए स्थगित अथवा रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। इस संदर्भ में लिए गए निर्णय पर पुर्नविचार नहीं किया जाएगा।

lfpo LokLF;
lg
dk;Zikyd funs'kd

Annexure – 1

क. सं.	जिलों का नाम जहाँ सामग्री प्रेषित की जानी है	कार्यादेश अथवा सामग्री प्राप्ति (जो बाद में हो) से गंतव्य तक समान पहुँचाने की अधिकतम अवधि (घण्टों में)	सामग्री प्रेषण हेतु प्रति किलोग्राम दर रूपये में (अंक एवं शब्द दोनों में अंकित करें)		
			50 किलोग्राम से कम वज़न सामग्री प्रेषण हेतु	50 से 200 किलोग्राम सामग्री प्रेषण हेतु	200 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम सामग्री प्रेषण हेतु
d	[k	x	?k	M	p
1	अररिया	96			
2	किशनगंज	96			
3	पूर्णियाँ	96			
4	कटिहार	96			
5	सहरसा	96			
6	मधेपुरा	96			
7	सुपौल	96			
8	भागलपुर	72			
9	बांका	72			
10	जमुई	72			
11	मुंगेर	72			
12	खगड़िया	72			
13	लखीसराय	48			
14	बेगुसराय	48			
15	शेखपुरा	48			
16	नवादा	48			
17	गया	48			
18	औरंगाबाद	48			
19	जहानाबाद	48			
20	अरवल	48			
21	कैमूर (भभुआ)	72			
22	रोहतास (सासाराम)	48			
23	बक्सर	48			
24	आरा (भोजपुर)	48			
25	पटना	24			
26	वैशाली	48			
27	नालन्दा	48			
28	सारण	48			
29	सीवान	48			
30	गोपालगंज	72			
31	पश्चिमी चम्पारण	72			
32	पूर्वी चम्पारण	48			
33	मुज़फ्फरपुर	48			
34	शिवहर	48			
35	सीतामढ़ी	48			
36	मधुबनी	72			
37	दरभंगा	48			
38	समस्तीपुर	48			